



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक - 851 / 12-1 दिनांक, मुनिकीरेती 05 / 12 / 2020,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड से टोला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
FP/UK/ROAD/49457/2020.

सन्दर्भ :-

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती का पत्रांक-1230/12-1, दिनांक-24.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत मोटर मार्ग मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड से टोला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल प्रति सहित 3 प्रतियों में संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)

वन संरक्षक

संख्या - / , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ धीरज पाण्डेय)

वन संरक्षक

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावक संख्या-FP/UK/ROAD/49457/2020.

प्रस्ताव का नाम-मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड से टोला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

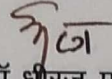
1. स्थल, जहाँ को वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख
और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
हाँ
2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
हाँ
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।
संस्तुति की जाती है।

तिथि 02-12-2020

स्थान-मुनिकीरेती।

नाम और पदनाम

हस्ताक्षर


(डॉ धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए
राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकू
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि.....

स्थान-मुनिकीरेती।

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम



कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या- 1230 / 12-1

दिनांक 24/10/2020

सेवा में

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड से टोला तक मोटरमार्ग निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/49457/2020

सन्दर्भ :-

अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर का पत्रांक-1116/33सी0 दिनांक 25-09-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/49457/2020 जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राड़ागाड से टोला तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की मूल प्रति मय चार छाया प्रति सहित कुल 05 प्रतियों में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव मूल प्रति सहित आपको 04 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-04 प्रतियों :-

मान्यता

27/10/2020

भवदीय

24/10/2020
उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या- 1230 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।